**भारत सरकार**

**ग्रामीण विकास मंत्रालय**

**ग्रामीण विकास विभाग**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 3655**

**(16 जुलाई, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए)**

**इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थी**

**3655. श्री बी.वाई. राघवेन्द्रः**

**श्री नलीन कुमार कटीलः**

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि केंद्र प्रायोजित योजना इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस), पात्र वृद्ध नागरिकों को प्रत्यक्ष नकद पेंशन प्रदान करके सहायता करने के लिए शुरू की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि बैंक और खजांची अधिकारी लाभार्थियों के ब्यौरे को सत्यापित किए बिना सरकार को पेंशन की राशि लौटा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि उक्त अधिकारी कर्नाटक में हजारों लाभार्थियों को पेंशन के लाभ से वंचित करने के लिए जिम्मेदार हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त अनियमितताओं के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

**उत्तर**

**ग्रामीण विकास मंत्री**

**(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)**

(क) और (ख): इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस) केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सहायता गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले (बीपीएल) परिवारों के बुजुर्ग व्यक्तियों को दी जाती है। आईजीएनओएपीएस के अंतर्गत 60-79 वर्ष की आयु के लाभार्थियों को 200 रू. प्रतिमाह और 80 वर्ष एवं इससे अधिक आयु के लाभार्थियों को 500 रू. प्रतिमाह की केंद्रीय सहायता दी जाती है। चूंकि इस योजना का उद्देश्य घर-घर तक पेंशन राशि की प्रदायगी करना है, इसलिए लाभार्थियों की उपयुक्तता के अनुसार बैंक, डाकघर खातों, मनी ऑर्डर और नकद वितरण के माध्यम से पेंशन का भुगतान किया जाता है।

(ग) से (च): लाभार्थियों के ब्यौरे का सत्यापन किए बिना बैंक और राजकोष अधिकारियों द्वारा पेंशन की राशि सरकार को लौटाए जाने का कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं लाया गया है।

*****